76/7/2024
जागीरसिंह V/s देविका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	5.6.7 उप० है। राजीनामा पेश किया, जो बाद तस्दीक के शा० मिसल किया गया। पक्षकारान की उपस्थिति अंकित की गई। वास्ते सादिक कार्यवाही हेतु दिनांक-10/12/25 को पेश हो
(वादी) जागीरसिंह (प्रतिवादीगण)	पत्रावली, पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्या.यिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक............ को पेश हो
	10/12/25 – पत्रावली पेश। वादी की ओर से प्रा०पत्र पेश कर वाद "नोट प्रेस" में पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अतः प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी "Not press" में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

प्रकरण संख्याः– 76/स्वा/24

जागीर सिंह बनाम देविका वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,183,188 राज0 टीनेन्सी एक्ट

बाबत खातेदारी घोषणा बंटवारा भूमि बेदखली स्थायी निषेधाज्ञा

राजीनामा

मान्यवर,

पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण मे राजीनामा कर लिया है:–

1 मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त भूमियां वाके ग्राम बडानयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो उक्त संपूर्ण वादग्रस्त भूमियां वादी/प्रार्थी के पिता स्वर्गीय बिशनसिंह आ0 जगसिंह जाति पंजाबी जटसिख निवासी बडानयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा वर्ष 2005 मे प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी/अप्रार्थी देविका पुत्री रविन्द्र अग्रवाल को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान कर कब्जा संभला दिया था। तथा उक्त भूमि देविका की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई।

2 यह कि तत्पश्चात देविका द्वारा उक्त भूमियां प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी/अप्रार्थीगण कुन्दन गुर्जर, सतीश गुर्जर एव राकेश गुर्जर को संयुक्त रूप से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान की जा चुकी है जिस पर उक्त केतागण काबिज है और खातेदार काश्तकार होकर काबिज चले आ रहे है।

3 यह कि वादी यह स्वीकार करता है कि मेरे पिता बिशनसिंह तथा मेरी एवं मेरे वारिसान की जाति पंजाबी जट सिख है तथा मजहबी सिख नही है और हम अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य नही है और उक्त भूमि बाबत जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे पिता बिशनसिह एवं देविका द्वारा निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाए गए है वे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वैध है एवं उनमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नही है। तथा भूमियां प्रतिवादी/अप्रार्थीगण देविका एवं तत्पश्चात कुन्दन गुर्जर,सतीश गुर्जर, एवं राकेश गुर्जर की खातेदारी में दर्ज की गई है जो सही दर्ज है और भूमियों पर पूर्व में देविका एवं वर्तमान में केतागण खातेदार का कब्जा चला आ रहा है। इसमें मै वादी एवं मेरे वारिसान सहमत है तथा हमें कोई आपत्ति नही है। मेरा एवं मेरे वारिसान का विक्रय के पश्चात भूमियों पर कभी कब्जा नही रहा ह।

4 यह कि उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे मांगे गए अनुताष बाबत वादी प्रार्थी अब कोई कार्यवाही नही चाहता है और वाद/प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से वाद/प्रार्थना पत्र इसी स्तर खारिज कर निस्तारित किया जावे। और वादग्रस्त भूमियों बाबत पक्षकारान मे अब कोई मनमुटाव नही है और वादी प्रार्थी एवं उसके वारिसान भविष्य में वादग्रस्त भूमियों बाबत कोई कार्यवाही नही करेंगें।

अतः यह राजीनामा उभय पक्षो द्वारा पूर्ण होश हवास में बिना किसी दाब दबाव के स्वतंत्र सहमति से निष्पादित कर दिया है जिसको तस्दीक फरमाया जावे।

दिनांक 3/12/25 विनीत वादी

जागीरसिंह

जागीरसिंह

विनीत प्रतिवादीगण

कुन्दन गुर्जर, सतीश गुर्जर, राकेश गुर्जर

Date- 3/12/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - हिण्डोली

यह राजीनामा वादी/प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया, राजीनामा पढ़कर/सुनकर सही होना स्वीकार किया/पक्षकारान को अधिवक्तागण ने शिनाख्त किया/

अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है/

शामिल पत्रावली रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

(वादी)
जागीरसिंह

प्रतिवादीगण

शा. मिसल
10/12/2025

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली
(दावा) 2024

जागीरसिंह बनाम देविका बाई
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 183 राज. टीनेन्सी
बाबत खातेदारी घोषणा, बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र वास्ते वाद को नॉट प्रेस
में खारिज फरमाने बाबत

मान्यवर,

वादी निम्न प्रार्थना पत्र पेश करता है:

(1) यह कि उक्त वाद में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया। उक्त राजीनामा पत्रावली में पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है।

(2) यह कि उक्त वाद में राजीनामा हो जाने से अब वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है और वादी वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है तथा वाद में वांछित अनुतोष भी नहीं चाहता है और वाद को नॉट प्रेस करता है और इसी आधार पर वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः निवेदन है कि उक्त वाद को नॉट प्रेस में खारिज फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 10/12/25

द्वारा अधिवक्ता — निवेदक वादी जागीर सिंह